(28) Ench/POR

LR.

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (शाखा– वन भू अभिलेख) सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्र0/वन अभि/ 704

भोपाल, दिनांक 24/08/2013

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक,
   क्षेत्रीय वन वृत्त, म.प्र.।
2. समस्त क्षेत्र संचालक,
   टाईगर रिजर्व, म.प्र.।
3. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान,
   शिवपुरी, म.प्र.।
4. मुख्य वन संरक्षक,
   सिंह परियोजना, ग्वालियर, म.प्र.।

विषय :–वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दावे द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर जिला स्तरीय समिति के समकक्ष वन विभाग की ओर से वन भूमि के संबंध में पक्ष रखने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन वासियो एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों द्वारा काबिज वनभूमि के दावे संबंधित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ऐसे दावों के विनिश्चयन हेतु समिति के समक्ष अपने दावों में साक्ष्य के रूप में पूर्व समय की पी.ओ.आर एवं विभागीय मनी रसीदें आदि प्रस्तुत की जाती हैं। वनभूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध वन विभाग द्वारा वन अपराध पंजीबद्ध किया जाकर सक्षम अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा या तो प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है अथवा अपराधी द्वारा राजीनामा देने पर प्रकरण को प्रशमित (Compound) किया जाता है। वन अपराध प्रकरणों के प्रशमन की स्थिति में वन अपराधी द्वारा अपराध स्वीकार किया जाकर वन भूमि से अपना कब्जा छोड़ दिया जाता है तथा महसूल (Royalty) एवं मुआवजा की राशि जमा कर रसीद प्राप्त की जाती है। अतः ऐसी रसीद के आधार पर अतिक्रमित वनभूमि पर सतत् कब्जा होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता है बल्कि अधिकार पत्र प्राप्त करने का दावा निरस्त करने का ऐसी रसीद परिपक्व आधार है। अतः इस आधार पर जिला स्तरीय समिति के समक्ष अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु दावेदारों के प्रकरण में विनिश्चयन के समय वन विभाग द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें एवं उपरोक्तानुसार जारी मनी रसीद के आधार पर यदि किसी दावेदार को वनभूमि का अधिकार पत्र प्राप्त हो गया हो तो इस सम्बन्ध में संबंधित जिला स्तरीय समिति के समक्ष वन विभाग का पक्ष प्रस्तुत कर अधिकार पत्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावे।

23-8-2013

(पी0के0 शुक्ला)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (का.आ. एवं वन–भू अभि0)

E:\APCCF R Section\Tribal\Gen Latter.docx